

प्रदूषण रोकिए!

क्षेत्रीय कार्यालय

पर्यावरण बचाइए!!



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH  
(Azamgarh, Ballia, Mau)

सं.सं./Ref. 547 / 0.A.HO.698/2022/R.O.-Azamgarh

31.12.2022

By e-mail

To,

The Registrar,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi.

**Sub: Action taken report in compliance of the order passed by Hon'ble NGT on dated 01.11.2022 in Original Application No. 698/2022 Dharmender Kumar Singh Versus State of U.P.**

Sir,

Kindly refer to above mentioned subject. Consequent upon the referenced Order, the designated Committee constituted has made sincere efforts in addressing all the issues in compliance of order passed on dated 01.11.2022. The report with all supporting annexeure is enclosed with request to kindly place before Hon'ble Tribunal. The above case has listed for further hearing in Hon'ble Court on dated 04.01.2023.

Encl. As above.

Yours faithfully

(Dr. S. C. Shukla)  
Regional Officer

Copy to following for kind information & necessary action.

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2. Chief Environmental Officer (C-6), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : जयरामपुर, मऊ रोड, आजमगढ़ - 276001, www.uppcb.com, E-mail- roazamgarh@uppcb.com

मुख्यालय : टी.सी. 12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010 # दूरभाष : 2720828, 2720681, 2720691, 2720831

फैक्स : 0522-2720764 # ई-मेल : info@uppcb.com # वेबसाइट : www.uppcb.com

**REPORT**  
**PLACED BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN**  
**TRIBUNAL (NGT), NEW DELHI**  
**O.A. No. 698/2022**

*In the matter of Dharmender Kumar Singh V/s State of U.P.*


**1. Background**

**National Green Tribunal (NGT) order**

The applicant Mr. Dharmender Kumar Singh resident of Village Sarni, Post Koth, Tehsil Sikanderpur, District Ballia, Uttar Pradesh has sent the present letter petition by post, which has been treated and registered as original application, complaining about Illegal construction of buildings of Jannayak Chandrashekhar University in violation of environmental norms at village Vasantpur, District Ballia, Uttar Pradesh in the buffer zone of Surha Tal, which is wetland of River Ganga and has been declared a bird sanctuary. The above said wetland is spread in an area of 34.3 km<sup>2</sup> having length of 4.5 kms. During monsoon, the water spread area of the wetland gets increased posing danger of inundation of any structure constructed within wetland area. The sanctuary is bird habitat and falls under the control of Kashi Wildlife Department, Ramnagar, Varanasi. The construction of the buildings of the above-said University in the drainage basin of the wetland will prevent flow of natural water which drains to Surha Tal (Wetland), thereby it may have adverse impacts on its environment.

- 2.** This Tribunal is empowered to suo moto take cognizance of the cases involving questions relating to environment arising out of the implementation of enactments specified in Schedule I of the National Green Tribunal Act, 2010 as held

Page 1 of 10

  
mp  
31/12/2022

by Hon'ble Supreme Court in Municipal Corporation of Greater Mumbai V/s. Ankita Sinha and others 2021 SSC Online SC 897. This Tribunal can also take cognizance of such cases on the basis of letter petitions in accordance with settled principles of law governing Public Interest Litigation.

3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.
4. Notice be issued to the Vice Chancellor and Registrar, Jannayak Chandrashekhar University, Ballia, Uttar Pradesh requiring them to file their reply/response to the averments made in the application within two months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of (i) Additional Chief Secretary, Environment, Forests and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, (ii) Principal Secretary, Department of Home, Government of Uttar Pradesh, (iii) Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Government of Uttar Pradesh, (iv) Uttar Pradesh State Wetland Authority, (v) State PCB and (vi) District Magistrate, Ballia and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and submit its report within two months by



e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

List for further consideration on 04.01.2023.

## **2. Action Taken**

In compliance of order passed by Hon'ble NGT on dated 01.11.2022 the following joint committee was constituted:-

### **Nominated Members**

- i.** Shri Dinesh Singh, Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi representative of Additional Chief Secretary, Environment, Forests and Climate Change, Government of Uttar Pradesh.
- ii.** Shri Raj Karan Nayyar, Superintendent of Police, Ballia representative of Principal Secretary, Department of Home, Government of Uttar Pradesh.
- iii.** Shri Dinesh Singh, Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi representative of Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Government of Uttar Pradesh.
- iv.** Shri V. K. Anand, Divisional Forest Officer, Social Forestry Division & Member Secretary, District Wetland Committee Ballia representative of Uttar Pradesh State Wetland Authority
- v.** Dr. S. C. Shukla, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Azamgarh representative of U.P. Pollution Control Board.
- vi.** District Magistrate, Ballia.




The Meeting of above joint committee was convened on dated 29.12.2022 and unanimously decided to conduct physically visit site after meeting. Accordingly joint committee visited site Jai Prakash Narayan (Surha Tal) Bird Sanctuary, Jananayak Chandrashekhar University & Kathar Nala on dated 29.12.2022. At the time of site visit applicant Shri Dharmender Kumar Singh & Shri S.N. Pal, Registrar, Jananayak Chandrashekhar University were present with joint committee.



A view of joint committee during meeting on dated 29.12.2022 at watch tower Surha Tal, Basantpur, Ballia.

### 3. Observations

Surha Taal is a natural lake located in District Ballia of Uttar Pradesh. Surha Tal is located in Middle Ganga Plains along the margins of Ganga. It owes its origin to the meandering of Ganga and now a narrow outlet of about 23 km named Kathar Nala connects it with the river and is the main outflow channel. The area of the lake is subject to seasonal variation and the lake expands to its maximum during rainy season in the month of August to September. The lake discharges its waters into River Ganga through Kathar Nala. Sometimes the flow of Kathar Nala gets reversed during the high floods in River Ganga. Forest Department, Govt. of U.P. has notified Surha Tal as Surha Tal Bird Sanctuary under Wildlife (Protection) Act, 1972 vide notification no. 1088(1)/14.03.19/89, Lucknow on dated 27 March, 1991. Further Forest Department, Govt. of U.P. has changed name Surha Tal Bird Sanctuary as Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary vide office order



no. 2854/14-4-2002-874/2002 Lucknow on dated 10 December, 2002.

Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi incharge of Jai Prakash Narayan (Surha Tal) Bird Sanctuary, Ballia has given following information during visit are as follows :-

- 3.1** Forest Department, Forest Section-3 No. 1088 (1)/14-3-19/89 Lucknow on March 27, 1991 under sub-section (1) of Section-18 of the Wildlife Protection Act, 1972 by Hon'ble Governor, U.P. using this, about 34.329 sq. Km. area has been declared as Surha Tal Bird Sanctuary, Ballia **(Annexed as Annexure-01)**.
- 3.2** Hon'ble Governor, U.P. has changed the name from Surha Tal Bird Sanctuary to Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary vide notification U.P. Forest Section-4 No.-2854/14-4-2002-874/2002, Lucknow Dated 10.12.2002 **(Annexed as Annexure-02)**.
- 3.3** District Magistrate, Ballia has invited/announced to general public under Section-21 of the Wildlife Protection Act, 1972, on 18.12.2006, objections/claims in the construction of bird sanctuary in the said area whose interests are being affected or vested may claim/objections submit for hearing to the Settlement Officer (Sub Divisional Magistrate) Bansdih, Ballia which is continuing and under process.
- 3.4** In Jai Prakash Narayan (Surha Tal) Bird Sanctuary, Ballia area, out of total 3432.93 hectares of notified land, 132.78 hectares is village society (Gram Samaj) land and 3300.15 hectares is the land of private cultivators. No land of Forest Department is vested in it.



- 3.5** As per Additional Chief Secretary, Higher Education, Govt. of U.P. vide letter no. 462/Sattar-4-2018-20(20)/2016, dated 09.03.2018 requested to District Magistrate Ballia that the Shaheed Smarak Trust Ballia land transfer its land 51.0 acre in favour to Higher Education Department, Govt. of U.P. for establishment of Jananayak Chandrashekhar University.(**Annexed as Annexure-03**). As per khatauni register of land Consolidation Department, Ballia the said land 51.0 acre transferred (Mutation) to Jananayak Chandrashekhar University, Ballia through Special Secretary, Govt. of U.P. (**Annexed as Annexure-04**).
- 3.6** The teaching work is going on continuously since the year 2017-18 in various faculties/courses of Jananayak Chandrashekhar University, Ballia. At present, apart from local students, students from nearby districts also come to get higher education.
- 3.7** The University is situated in Village-BasantpurEhatmali in a total area of 51.0 acres and the campus of the University is surrounded by boundary wall from all sides.
- 3.8** At the time of site visit various land gata's of JannayakChandrashekhar University found to be situated at a distance of about 300 meters to 600 meters from the water area of Surha Tal.
- 3.9** Farming is being done by the local farmers on the surrounding land outside the University campus, in which crops like wheat, gram, peas and mustard etc. have been grown. There is no water logging anywhere in the university campus or its adjacent area, due to this there is no movement of migratory/immigrant birds in



this area, nor is there breeding/breeding of birds in the university campus or its vicinity. Reflected somewhere.

- 3.10** The campus of the University level is higher than the present water level of Surha Tal. The Surha Tal is connected to the river Ganges through Kathar Nala. When the water level of the river Ganga rises during the rainy season, the water of the river Ganga comes to Surha Tal through Kathar Nala. This flood water goes back in 20-25 days with the decrease in the water level of river Ganga. About 1087.87 hectare of the Surha Tal is filled with water throughout the year. Most of the migratory/immigrant birds travel in this area only in the winter season from the month of December to the month of February.
- 3.11** It was informed by the University Administration that according to the present layout of the university campus, proper arrangements for water drainage have been ensured. During the rainy season, there will be no obstruction in the way of rain water going to the Surha Tal area from the old buildings and new under-construction buildings located in the university campus. Four drains located in the surrounding areas are connected to Surha Tal, through which all the water of the nearby catchment area goes to Surha Tal.
- 3.12** At the time of inspection Forest Settlement Officer, Ballia has submitted letter no. 1236/Aa.Li.-Van Bandobast, Dated 19.12.2022 regarding land of Jannayak Chandrashekhar University, Ballia (**Annexed as Annexure-05**). As per attached letter Jannayak Chandrashekhar University, Ballia has requested vide




letter no. J.N.C.U./S.P./ 2790/2022, dated November 14, 2022 to the District Magistrate, Ballia through mentioning 09 points that all areas/land gata nos. of Jannayak Chandrashekhar University, Ballia to be excluded from the bird sanctuary. Considering the above request and claim of the University, under section 24 2(A) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (as amended) by Forest Settlement Officer, Ballia letter No. 1236/A.L.-Forest Settlement, dated 19.12.2022 in exercise of the rights conferred Jananayak Chandrashekhar University, Ballia, the mentioned land as requested has been separated from the notified area of the bird sanctuary.

**3.13** At the time of site visit Registrar of Jananayak Chandrashekhar University has informed that it is a state University established in year 2016 by Government of Uttar Pradesh. About 122 colleges are affiliated to this University. These 122 colleges of Ballia district were formerly affiliated to Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi. For academic year 2016-17 examinations were conducted by Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi but students were awarded a degree from Jananayak Chandrashekhar University. At present about 138 Colleges are affiliated to this University as informed by Registrar.

**3.14** The constituted Joint committee has visited Jananayak Chandrashekhar University. At the time of visit five sites (Commercial Building, Administrative building, SC/ST Hostel, Academic building and Library building) were found under construction in University premises.

 Four handwritten signatures or initials in blue ink, arranged horizontally. The first is a stylized 'mp', the second is a cursive signature, the third is a large 'K', and the fourth is a circular signature.

Page 8 of 10



A view main gate of Jananayak Chandrashekhar University and under construction site within University premises (Commercial Building, Administrative building, SC/ST Hostel, Academic building and Library building) Ballia.

**3.15** Joint Committee has also visited Kathar Nala which is a narrow outlet and connects it with the river Ganga.




A view of Kathar Nala near Village-Shankarpur, Bajaha, District-Ballia before joining Surha Tal.

**3.16** Ministry of Environment Forest & Climate Change Govt. of India on 08 March, 2019 notified an area to an extent of 1.0 km. Uniform around the boundary of Jai Prakash

Narayan (Surha Tal) Bird Sanctuary in Ballia district of U.P as Eco-Sensitive Zone.


**3.17** The Registrar of aforesaid University has informed to joint committee vide letter no. JNCU/Sa.Pra./3230/2022 dated 31.12.2022 that present construction activities of above 05 sites, total proposed built-up area is about 17175 square meter and other constructed building constructed by Shaheed Smarak Trust before financial year 2008-09 (**Annexed as Annexure-06**).

Above factual report is putup for submission to Hon'ble NGT in compliance of order passed on dated 01.11.2022.

  
31/12/2022

**(Dinesh Singh)**

Divisional Forest Officer,  
Kashi Wildlife Division,  
Ramnagar, Varanasi

  
31/12/2022

**(V. K. Anand)**

Divisional Forest Officer,  
Social Forestry Division &  
Member Secretary, District  
Wetland Committee Ballia.

  
31/12/22

**(Dr. S. C. Shukla)**

Regional Officer  
U.P. Pollution Control Board  
Azamgarh.

  
31/12/2022

**(Raj Karan Nayyar)**

Superintendent of Police,  
Ballia.



**(Praveen Verma)**

District Magistrate  
Ballia.

उत्तर प्रदेश सरकार  
वन अनुभाग-3  
संख्या 1088 (1)/14.03.19/89  
लखनऊ, दिनांक 27 मार्च, 1991

Annexure-1

### अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सरकार की राय है कि यह क्षेत्र जिसका ब्यौरा नीचे दी गयी अनुसूची में दिया गया है वन जोड़ों और उनका पर्यावरण के संरक्षण, सम्बर्द्धन और विकास के प्रयोजन के लिए प्राणिक, पक्षिक, प्राणिलज्जित वनस्पतीय, भू-आकृतित्व प्राकृतिक और प्राणितत्वीय महत्व का है।  
उत्तर प्रदेश वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1972) की धारा 33 के उपधारा (1) शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त क्षेत्र को जो 34.319 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है, पक्षी विहार के रूप में घोषित करते हैं, जिसे जिला बलिया का पक्षी विहार कहा जायेगा।

### अनुसूची

#### बुढ़ावा पक्षी विहार की सीमायें

सीमायें-

- ग्राम भीखनपुर की गाटा संख्या 37/2, 37/1, 35, 60, 59, 27, 22, 17, 56, 13, 6 तथा भेंदपुर की गाटा संख्या 67, 58, 7, 8, 9, 10, 116, 19, 29, 28, 27, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 48, 46 ग्राम बसन्तपुर एहतमाली की गाटा संख्या- 578, 517, 515/2, 515/1, 514, 513, 512, 511, 510/2, 510/1, 509, 508, 507, 506, 502, 501, 500, 498, 497 (चार भागों में) 496, 489, 479, 476, 474, 472, 471, 470, 469, 468, 466, 464, 463, 461, 460, 451, 450, 448, 447, 445, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12, 13, 20, 21, 27, 23, 24, 25/1, 26,

27, 28, 29 ग्राम व सप्तपुर झोंगला की गाव संख्या - 1, 4, 5, 6, 7,  
8 ग्राम बसन्तपुर मुस्तहकम की गाव सं०- 1,4,5,6,7,8 ग्राम बसन्तपुर  
मुस्तहकम की गाव सं० 4160, 4159, 4158, 4157/2, 4157/1,  
4156, 4155/2, 4155/1, 4154, 4153/1, 4153/1, 4153/2,  
4153/3, 4152, 4150, 4151, 4142, 4139, 4140, 4141,  
4144, 4145/1, 4145/2, 4174, 4175, 4180, 4181, 4182,  
1982, 1963, 1965

पश्चिम-उत्तर -

ग्राम विन्धवतिया की गाव संख्या-1 ग्राम संख्या-1, ग्राम शिवपुर की गाव  
सं० 744, 443 ग्राम खेतिया की गाव संख्या 114, 1, 288, 1/5,  
229, 1/5/1, 1/5/2, 1/5/3, 1/5/4, 1/5/5, 1/5/6 ग्राम अखियापुर  
की गाव संख्या-44, ग्राम कैथवली की गाव संख्या 419, 421, 422,  
423, 437, 440, 439, 441, 443, 444, 447, 449, 453,  
454, 459, 460, 464, 466, 469, 470, 472

उत्तर-पूर्व -

ग्राम सिधौली की गाव संख्या - 44, 93, 94, 84, 77, 110, 10,  
85, 99, 130, 100, 130, 151, 152, 153, 224, 39, 227,  
74, 136 ग्राम जमियापुर की गाव संख्या 186, 190, 191, 192,  
193, 194, 195, 196, 205, 217, 218, 219, 225, 226,  
228, 229 ग्राम मैरीवर की गाव संख्या 1314, 1332, 1333,  
1336, 1337, 1388, 1389, 1391, 1398, 1422, 1435,  
1436, 1458, 1457, 1464, 1463, 1464, 1466, 1467,  
1473, 1474, 1476, 1477, 1483, 1484, 1489, 1491,  
1631, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650,  
1665, 1666, 1668, 1674, 1675, 1678 ग्राम अनकटपुर की  
गाव संख्या 169 ग्राम राजपुर की गाव संख्या 304, 305, 307, 308,  
309, 310, 311, 312 ग्राम चवरी की गाव संख्या 11 ग्राम बहसरी की  
गाव संख्या 117, 118, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138,  
140, ग्राम जाजीपट्ट की गाव संख्या 30, 31, 32, 33, 39, 37, 38,  
41, 43, 46, 50, 51 ग्राम कोल हुमरिया की गाव संख्या 22, 20,

24, 28, 36, 41, 42 और सोनपुर खुर्द की गांव संख्या 28, 29,  
24, 42, 41, 29, 28, 26, 27, 18, 22 व 24

पूर्व-दिशा -

ग्राम कुलवरिया की गांव संख्या 6, 7, 8, 18, 30, 28, 39, 35, 111,  
44, 109, 107, 51, 53, 54, 52, 59 ग्राम गहवा की गांव संख्या  
163, 82, 81, 80, 49, 52, 50, 47, 45, 43, 42, 41, 40, 39,  
38, 30 ग्राम डुमरी की गांव संख्या 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  
110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121,  
122, 125, 126, 10, 11, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,  
32, 49, 50, 51, 52, 54, 45, 41, 18, 17, 16, 12, 9, 8, 7,  
6, 5, 114, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 146, 147,  
142, 152, 153, 154, 156, 159, 160, 161, 166, 167,  
173, 174, 177, 179, 180, 181, 194, 195, 198, 200,  
199, ग्राम सोनपुरा खुर्द की गांव संख्या 114, 112, 116, 113,  
114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126,  
133, 134, 135, 139, 140, 141, 142/1, 142/2, 159, 160,  
161, 162, 165, 166, 167, 155, 154 ग्राम पटनापुर की गांव  
संख्या 35, 36, 54, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 48/1, 47, 46,  
और 45

### सुरहाताल पक्षी विहार का क्षेत्रफल

क्र.सं.	ग्राम	स्वामित्व		कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		निजी भूमि (हेक्टेयर में)	ग्राम समाज भूमि (डोमो)	
1	2	3	4	5
1	सोनपुर कला	46.00	0.87	46.87
	सोनपुर खुर्द	41.00	0.55	41.55
	डुमरी	176.22	0.80	177.02
	गहवा	4.07	-	4.07
	पटनापुर	20.07	0.80	20.87

सतपुर	52.46	3.47	55.93
भदपुर	16.46	0.45	16.91
सिद्धपुर	11.36	0.45	16.91
सदयपुर	-	7.89	7.89
भदपुर	-	6.51	6.51
सजमपुर	78.32	0.40	78.72
सजमपुर एहतमाली	692.59	10.00	702.59
सजमपुर सुखाकम	44.29	-	44.29
साल सुखा	1006.37	81.50	1087.87
ससन्तपुर	17.78	0.02	17.80
सदरीकरण	39.40	-	39.40
गळ्या	99.30	-	99.30
दवरी	75.63	-	75.63
दभनीली	15.41	0.78	16.19
फुलवरिया	21.31	-	21.31
बिन्दवलिया	104.41	0.03	104.44
केलिया	153.44	-	153.44
शिवपुर	12.14	-	12.14
तूर्मपुर	14.03	0.13	14.16
अखितयारपुर	16.76	1.48	18.24
कैथवली	30.05	2.69	32.74
सिधौली	6.07	-	6.07
माधोपुर	8.05	0.04	8.09
जजियापुर	15.28	1.21	16.49
गडारी पाह	50.43	1.69	52.12
सरीदार	14.17	-	14.17
आझवलिया	70.04	3.75	73.79
फाफर	42.23	2.43	44.66
रिदमौर	34.95	0.47	35.42
अजकटपुर	38.72	-	38.72
सजपुर	12.61	-	12.61
कडतारी	32.75	0.32	33.07

बदामपुर	1.75	0.20	1.95
बदामपुर	15.66	1.82	17.48
बदामपुर	17.48	-	17.48
काज कुमरिया	48.39	-	48.39
काज खुर्द	43.47	2.48	45.95
काज डीठ	42.29	132.70	3,432.93
कुल योग -	3,300.15	132.70	3,432.93
			3,432.93 हे०
		या	34,329 वर्ग किमी

आज्ञा से  
राजीव रत्न शाह  
सचिव

संख्या 1088(11)/14-3-19/89

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सनकी एशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को विद्यार्थी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में असाधारण गजट के दिनांक 03.04.91 के अंक में प्रकाशित कर दें तथा उसकी 50 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से  
ह०/-  
(गोपी मोहन श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

सं० 1088(11)/14-3-19/89

प्रतिलिपि अधिसूचना को सूचबार्ध एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
2. प्रमुख एवं संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ/समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०।
3. मुख्य वन अधिकारी प्रतिपालक, उ०प्र० लखनऊ।
4. उपमुख्य वन अधिकारी मण्डल, वाराणसी।
5. नि.उ.प्र. के सचिव।
6. वन सनकी, सा०वा०, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी।
7. विद्यार्थी अनुभाग।
8. पर्यावरण सनकी अनुभाग।

आज्ञा से  
ह०/-  
(गोपी मोहन श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार  
वन अनुभाग-4  
संख्या-2854/14-4-2002-874/2002  
लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2002

कार्यालय न्याय

संस्थानपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से "सुरहाताल पक्षी विहार" का नाम परिवर्तित कर "उत्तर प्रदेश वाराणसी पक्षी विहार" किये जाने के सठर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Sd/-

नागेश्वर नाथ उपाध्याय  
प्रमुख सचिव

संख्या- 2854-4-2002-तददिनांक

प्रतिष्ठित - मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन (वन जीव) उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने सभी सम्बन्धितों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

Sd/-

डॉ० अशोक कुमार वर्मा  
विशेष सचिव

कार्यालय मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, 30प्र० लखनऊ  
पत्र संख्या 795/23-7-1 (सुरहाताल) लखनऊ दिनांक फरवरी 05, 2003

प्रतिष्ठित - राष्ट्रीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, सीरजापुर एवं राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव प्रभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक सूचना हेतु प्रेषित।

Sd/-

मु० अहसन  
वन संरक्षक (वन्य जीव)  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या-469/रात्तर-4-2018-20(2)/2018

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
बलिया।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक 03 मार्च, 2018

विषय :- जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की स्थापना हेतु शहीद स्मारक ट्रस्ट बलिया की भूमि उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन के पक्ष में हस्तान्तरित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-212/भू०व्य-वि०वि० दिनांक 16/11/2017 एवं पत्र संख्या-41/भू०व्य०-वि०वि० दिनांक 17.02.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्रों में उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव एवं दी गई अनापत्ति की दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, शहीद स्मारक ट्रस्ट बलिया की 51.00 एकड़ भूमि जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन के पक्ष में इस प्रतिबन्ध के साथ हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं कि "इस भूमि पर जो परिसम्पत्तियां/इमारत सृजित हैं, उनका रख-रखाव विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से किया जायेगा एवं जिन उद्देश्यों से ट्रस्ट की स्थापना की गयी थी, उसके निमित्त विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में सम्मिलित करते हुए उद्देश्यों की पूर्ति के सबंध में प्रयत्न करेगा तथा इसका विकास इस तरह से किया जाएगा कि भूमि की एक साइड में वन विश्राम गृह एवं पक्षी विहार की भूमि यथावत वन प्रभाग बलिया की देखरेख में बनायी रखी जाए। वन प्रभाग बलिया इसमें फॉरेस्ट एक्ट एवं वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के ले-आउट प्लान के अनुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही करेगा ताकि यह ग्रीन बेल्ट एवं पिकनिक स्पॉट के रूप विकसित हो सके।"

2- आपसे अनुरोध है कि शहीद स्मारक ट्रस्ट बलिया की प्रश्नगत 51.00 एकड़ भूमि जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन के पक्ष में हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-462(1)/सत्तर-4-2018 तद दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
  2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
  3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
  4. सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
  5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/राजस्व विभाग/समाज कल्याण विभाग/वन विभाग/न्याय विभाग/संस्कृति - विभाग/धर्मार्थ कार्य विभाग एवं राजनैतिक पेशन विभाग, उ०प्र० शासन।
  6. अध्यक्ष, शहीद स्मारक ट्रस्ट, बलिया, द्वारा जिलाधिकारी, बलिया।
  7. मैनेजिंग ट्रस्टी, शहीद स्मारक ट्रस्ट, बलिया/जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
  8. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद।
  9. मुख्य कोषाधिकारी, बलिया।
  10. कुल सचिव/वित्त अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
  11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मधु जोशी

( मधु जोशी )

विशेष सचिव।



वन जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972(यथा संशोधित) की धारा  
(22/24) के अन्तर्गत कार्यवाही।

दावा सं० -1

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के पत्रांक संख्या जे०एन०सी०यू०/सा०प्र०/2790/2022 दिनांक 14 नवम्बर 2022 द्वारा 09 विन्दुओं पर उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी महोदया बलिया को सम्बोधित कर जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के समस्त क्षेत्रों को पक्षी विहार से बाहर करने का अनुरोध किया गया है-

1. मौजा बसन्तपुर एहतमाली में गाटा संख्या/रकबा कमशः 677/0.02, 679/0.05, 680/0.05, 681/0.07, 682/0.07, 686/0.18, 687/0.13, 688/1.60, 688/0.30, 689/1.60, 690/0.25, 691/0.22, 692/0.65, 693/0.53, 694/0.59, 695/0.55, 696/1.04, 696/0.60, 750/0.60, 751/0.58, 752/0.62, 753/0.05, 754/0.07, 755/0.28, 756/0.42, 757/1.58, 758/0.61, 759/0.06, 760/0.51, 761/0.43, 762/0.10, 763/0.72, 810/0.20, 812/0.32, 813/0.80, 814/0.72, 815/0.33, 816/0.40, 817/0.25, 818/0.19, 819/0.93, 820/1.85, 821/4.92, 822/0.25, 825/0.22, 826/0.32, 840/0.16, 841/0.13, 842/0.80, 843/0.65, 844/0.78, 845/0.33, 846/0.54, 847/1.08, 847/0.41, 848/0.02, 848/0.96, 849/0.69, -1/2, 854/0.10, 857/0.34, 858/0.84, 859/0.66, 860/1.05, 865/1.10 -5/6, 866/1.30, 867/1.24, 868/1.19, 869/1.02, 870/0.80, 871/0.41, 872/0.69, 873/1.19, 874/0.72, 875/0.80, 876/0.62, 877/0.56, 878/0.49, 879/1.08, 879/0.40, 905/0.52, 906/0.04, 1603/0.06, 1604/0.18 कुल गाटा 78 रकबा 51.00 एकड़ (20.642 हे०) जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय के नाम से दर्ज है।

2. उक्त क्षेत्र में स्थित जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के विभिन्न संकायों/पाठयक्रमों पठन/पाठन का कार्य सुचारु रूप से वर्ष 2017-18 से अनवरत चल रहा है। वर्तमान समय में काफी संख्या में विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं।
3. जनपद बलिया में अवस्थित इस विद्यालय में विभिन्न जनपदों के सुदूर क्षेत्रों से विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु यहां आते हैं।
4. विन्दु संख्या 01 में वर्णित भूमि जलीय क्षेत्र से दूर स्थित है तथा यहाँ पर कभी भी प्रवासी/स्थानीय जलीय पक्षी नहीं आते हैं।
5. इस विश्वविद्यालय का सम्पूर्ण क्षेत्र चहारदीवारी से घिरा हुआ है तथा वर्तमान में ले-आउट के अनुसार पानी निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

(२)

6. जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार में मौजा ताल सुरहों का सम्पूर्ण क्षेत्र लगभग 1088.00 हे० है, में पानी भरा रहता है। यह क्षेत्र प्रयासी एवं स्थानीय पक्षियों के विचरण एवं निवास हेतु पर्याप्त है। प्रयासी पक्षी माह दिसम्बर से फरवरी तक लगभग 03 माह का प्रवास कर वापस चले जाते हैं।

7. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के संचालन से पक्षी विहार क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. नैसर्गिक दृष्टिकोण से मानव जीवन का उत्थान एवं विकास सर्वोपरि है। विश्वविद्यालय के संचालन से आस पास के जनपदों के छात्र- छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। जिससे नौकरी /रोजगार प्राप्त कर अपने जीविकोपार्जन एवं आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे।

9. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध किया गया है कि जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के समस्त क्षेत्रों को पक्षी विहार से बाहर करने का कष्ट करें।

उक्त दावा/आपत्ति प्राप्त होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर 2022 को उपरोक्त गाटों एवं बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक संख्या 1203/आ०ले०-उ०जि० तहसील बांसडीह द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी बलिया एवं प्रभागीय वन अधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर को निर्धारित प्रारूप पर प्रपत्र (क) दिनांक 10.12.2022 के पूर्व उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

दिनांक 17.12.2022 को कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी के पत्रांक 2117/31/2022-23 दिनांक 17 दिसम्बर 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मौजा बसन्तपुर एहतमाली के अन्तर्गत कुल 78 गाटे रकबा 51.00 एकड. भूमि जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के नाम दर्ज है। विश्वविद्यालय परिसर में वर्ष 2017-18 से पठन पाठन का कार्य अनवरत चल रहा है, जिसमें पठन-पाठन हेतु सुदूर क्षेत्र से विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आते हैं। विश्वविद्यालय का सम्पूर्ण क्षेत्र चहारदीवारी से घिरा हुआ है।

वन विभाग एवं चकबन्दी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मौके का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा संयुक्त आख्या प्रपत्र-क पर निम्नवत है-

1. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के समस्त गाटों/भूमि में कहीं पर भी वर्तमान समय में पानी नहीं भरा है।

2. वर्तमान समय में जय प्रकाश नारायण (सुरहोंताल) पक्षी विहार के जलीय क्षेत्र से जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय के विभिन्न गाटों/भूमि की दूरी लगभग 250.00 मी० से 600.00 मीटर तक है।

(An)

3. विश्वविद्यालय परिसर एवं उससे सटे क्षेत्र में कहीं पर भी जल भराव नहीं होने के कारण देशी/विदेशी पक्षी विश्वविद्यालय परिसर अथवा उसके आस-पारा के क्षेत्रों में नहीं आते हैं।

4. विश्वविद्यालय के भू-खण्डों/स्थान जय प्रकाश नारायण (सुरहोताल) पक्षी विहार के वर्तमान जल स्तर के सापेक्ष लगभग 02.50मी० से 03.00 मी० ऊँचा है।

संयुक्त टीम द्वारा जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के सम्पूर्ण परिसर को जय प्रकाश नारायण (सुरहोताल) पक्षी विहार की अधिसूचित सीमा से बाहर किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। अतः सर्वे टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रस्तुत संयुक्त आख्या के आधार पर जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के सम्पूर्ण परिसर को जय प्रकाश नारायण (सुरहाताल) पक्षी विहार की अधिसूचित सीमा से बाहर किये जाने की संस्तुति की गयी है।

वन अनुभाग-3 संख्या 1088(1)/14-3:19/बी०९ लखनऊ दिनांक 27 मार्च 1991 के द्वारा वन जीव (संरक्षण अधिनियम 1972 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1972 की धारा 18 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके कुल क्षेत्र 3,432.93 हे० यानि 34,329 वर्ग कि०मी० सीमा वर्णित की गयी है। वनजीव संरक्षण अधिनियम -1972 की धारा-21 के अन्तर्गत उद्घोषणा वर्ष 2006 में की गयी है तथा सर्व साधारण जिस किसी के भी हित प्रभावित हो रहे है अथवा निहित है से उक्त क्षेत्र को पक्षी विहार बनाने में आपत्तियां/दावे आमंत्रित किये गये। जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय को दिनांक 22.12.2016 में मान्यता प्राप्त हुयी है। इस के पूर्व यह भूमि शहीद स्मारक ट्रस्ट के पास रही है।

अधिनियम की धारा 20 के अनुसार 'अधिकारों के प्रोद्भव वन का वर्जन'- धारा 18 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात् ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं में आने वाली भूमि में, उस पर या उसके सम्बन्ध में कोई अधिकार, वसीयती या निर्वसीयती, उत्तराधिकारी के सिवाय अर्जित नहीं किया जायेगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा 21 के अन्तर्गत उद्घोषणा वर्ष 2006 में हुयी। जन सामान्य को अभ्यारण्य के भूमि सम्बंधी नियमों की जानकारी न हो पाने के कारण शहीद ट्रस्ट को भूमिक अधिकार प्राप्त हो गये। शहीद स्मारक ट्रस्ट को भूमि अन्तरित होने से पूर्व भी यह भूमि निजी कारशतकारों की ही थी।

प्रभागीय वनाधिकारी इस क्षेत्र के प्रभारी है। इनकी आख्या से स्पष्ट होता है कि जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय द्वारा किये गये दावे से सम्बन्धित भूमि पक्षी अभ्यारण्य के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य नहीं है। जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय की भूमि काफी ऊंची है। जलीय क्षेत्र जहां वर्ष भर पानी रहता है, से चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर काफी दूर है और यह क्षेत्र में पक्षियों की Nesting/प्रजनन हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है। पक्षी अभ्यारण्य के लिए अधिसूचित भूमि का क्षेत्रफल 3432.93 हे० है। इसमें वन विभाग की भूमि शून्य है तथा ग्राम समाज की भूमि का क्षेत्रफल मात्र 132.78 हे० है। पक्षी विहार की अधिसूचित क्षेत्र में लगभग 1088.00 हे० क्षेत्रफल में वर्ष भर पानी रहता है, जिसमें प्रवासी/अप्रवासी पक्षी

आते हैं तथा पक्षियों के लिए पर्याप्त है। अधिकांश भूमि स्थानीय किसानों की है जिस पर उनके द्वारा सामान्य रूप से खेती की जाती है।

इस प्रकरण में मौके के सर्वेक्षण के अनुसार इस क्षेत्र में वर्ष 2000 से 2004 तक के बीच इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय के पठन पाठन का कार्य वर्ष 2017-18 से चल रहा है।

प्रकरण के परीक्षण से इस भूमि पर शहीद स्मारक ट्रस्ट का अधिकार स्पष्ट होता है। विश्वविद्यालय के प्रयोजन में इस भूमि का प्रयोग हो रहा है। यह भूमि पक्षी विहार के अस्तित्व के लिए अनिवार्य/अपरिहार्य नहीं है तथा सरकारी या सामुदायिक भूमि नहीं है।

अतः अधिनियम 1972 की धारा 24 2(क) के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दावा सं० - 1 में वर्णित भूमि को प्रस्तावित पक्षी अभ्यारण्य के अधिसूचित क्षेत्र से पृथक किया जाता है।

(R)  
19.12.22  
(राजेश कुमार गुप्ता)  
वन बन्दोबस्त अधिकारी  
बलिया।

सं० 1236 /आ०लि० -वनबन्दोबस्त दिनांक-19 दिसम्बर 2022

- प्रतिलिपि-1. जिलाधिकारी महोदया बलिया को सूचनार्थ प्रेषित।  
2. मा० कुलपति जी (जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया)  
3. प्रभागिय वनाधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी।  
4. शहीद स्मारक ट्रस्ट बलिया

(R)  
वन बन्दोबस्त अधिकारी  
बलिया।



# जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

## Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0/सा0प्र0/3230/2022

दिनांक: 31 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त समिति

**विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी0), नई दिल्ली में योजित O. A. NO. 698/2022, धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक: 01 नवम्बर, 2022 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा O. A. NO. 698/2022/2022-23 में पारित आदेश दिनांक: 01.11.2022 द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक: 29.12.2022 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में चाही गयी सूचना का विवरण निम्नवत् है:-

विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान में निर्माणाधीन भवनों का विवरण।

- प्रशासनिक भवन, कुल बिल्टअप एरिया-4172 वर्ग मीटर।
- एकेडमिक ब्लॉक, कुल बिल्टअप एरिया-6689 वर्ग मीटर।
- पुस्तकालय भवन, कुल बिल्टअप एरिया-4106 वर्ग मीटर।
- कामर्शियल भवन, कु बिल्टअप एरिया-645 वर्ग मीटर।
- अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु

100 बेड छात्रावास, कुल बिल्टअप एरिया-1563 वर्ग मीटर।

कुल निर्माणाधीन बिल्टअप एरिया-17175 वर्ग मीटर।

कृपया अवगत कराना है कि उक्त निर्माणाधीन बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य माह-मई, 2022 से प्रारम्भ किया गया है। अग्रेतर अवगत होना चाहें कि विश्वविद्यालय में निर्मित अन्य भवन शहीद स्मारक ट्रस्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से पूर्व अवधि में किया गया है।

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(एस0 एल पाल)

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. माननीय कुलपति जी।

02. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

पता:-शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला-बलिया, उ0प्र0 पिन कोड:-277001

Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001

Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com



Academic Building

Area - 6690 Sqm.

19/5/2002  
Baz  
20/5/2002



Library Building

Area (4106 Sq.m.)

29/11/2022  
Prof. [Signature]

